


2005

16.7.24  
17/3/24

16.07.2024:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे निवेदन किया कि पक्षकारो के मध्य मे आपस मे राजीनाम हो गया है इसलिए वाद पत्र मे आगे काई कार्यवाही नही करना चाहते। इसलिए वाद पत्र वर्ततान स्तर पर खारिज (विद्दा) फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी अधिवक्ता द्वारा फर्द अहकाम पर not press किया गया। पक्षकारान का राजीनामा हो जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादी का वाद पत्र मौजूदा सूरत मे विद्दा (खारिज) किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।



सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

